रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 21, 2018/श्रावण 30, 1940
No. 586] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 21, 2018/SHRAVANA 30, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 793(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 125 की उपधारा (7) और धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण [उप महाप्रबंधक, निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, ज्येष्ठ सचिवालय सहायक (एसएसए) और कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए) की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन] भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण" से ऐसा प्राधिकरण अभिप्रेत है जिनका गठन अधिनियम की धारा 125 के अधीन किया गया है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है किंतु जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं है और जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनका है।

3. लागू होना.- ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ-I में विनिर्दिष्ट पदों में लागू होंगे।

4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

5. भर्ती का पद्धति, पात्रता आदि.- भर्ती की पद्धति, पात्रता और उनसे संबंधित अन्य वाले मामले वे होंगे जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

6. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की प्रक्रिया.- पदों पर जहां कहीं अनुसूची में विहित हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति, करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:

(1) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण द्वारा उप महाप्रबंधक, निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, वरिष्ठ सचिवालय सहायक (एसएसए) और कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए) के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए अनुसूची के स्तंभ (12) के अनुसार चयन समिति का गठन किया जाएगा।

7. प्रतिनियुक्ति की अवधि.- (1) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित कोई अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, वेतन मैट्रिक्स 67700-208700/- रुपए में स्तर-11 से नीचे के पदों के लिए प्रतिनियुक्ति प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष की होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संबंध में जारी वर्तमान निदेशों के अनुसरण में बढाया जा सकता है।

(2) प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदक की आयु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति आधार पर सेवारत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।

8. सेवा की शर्तें.- वेतन, भत्ते और अवकाश से संबंधित सेवा शर्तों का नियमन केंद्रीय सरकार के वेतन मैट्रिक्स में सदृश स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उस समय लागू नियमों और विनियमनों के अनुसार किया जाएगा।

9. स्थान सुविधा.- अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्रीय सरकार के सदृश वेतनमान के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू केंद्रीय सरकार द्वारा विहित दर के अनुसार स्थान सुविधा किराया भत्ता का दावा करने का विकल्प होगा:

परंतु कि यदि उन्हें साधारण पूल निवास स्थान सुविधा के लिए पात्र घोषित किया गया हो और वे आबंटित सरकारी आवास में अधिभोग रखते हों, तो वे स्थान सुविधा किराया भत्ते के पात्र नहीं होंगे।

10. अनुशासनिक कार्रवाई.- अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्रवाई की रूपरेखा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा केंद्रीय सरकार के वेतन मैट्रिक्स में सदृश स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू नियमों और विनियमनों के अनुसार अधिसूचित की जाएगी।

11. अयोग्यता.- वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति/पत्नी जीवित है से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु कि यदि केंद्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

12. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

IndiaCode

अनुसूची-I

(नियम 3,5,6,7,8,9 देखें)

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स और वेतन स्तर**	**चयन पद है या अचयन पद**	**सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
1	2	3	4	5	6	7
(1) उप महाप्रबंधक	*1 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'क'	स्तर-11	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती किए जाने वाली पदों की प्रतिशतता**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नतियां या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा**
8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति	**<u>प्रतिनियुक्ति-</u>** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी; (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हों; या (ii) जिन्होंने स्तर-10 के पद में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **वांछनीयः** कंपनी अधिनियम का ज्ञान और प्रशासन/स्थापना संबंधी विषयों में अनुभव

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
12	13
चयन समिति - (i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीईओ, आईईपीएफ प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) महा प्रबंधक, आईईपीएफ प्राधिकरण – सदस्य (iii) निदेशक/उप सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
(2) निजी सचिव	***1 (2018)** *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	स्तर-8	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति, जिसके नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**<u>प्रोन्नति-</u>** स्तर-6 में छह वर्ष की नियमित सेवा वाले वैयक्तिक सहायक टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्र सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **<u>प्रतिनियुक्ति-</u>** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों में कार्यरत ऐसे पदधारी- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हों; या (ii) जिन्होंने स्तर-7 के पद में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो, या (iii) जिन्होंने छह वर्ष की नियमति सेवा के साथ स्तर-6 में पदधारण किया हो और कौशल परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अर्थात् 110 शब्द प्रति मिनट श्रुतलेख (अंग्रेजी) और कंप्यूटर पर 55 मिनट का प्रतिलेखन।

12	13
विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति - (i) महाप्रबंधक, आईईपीएफ प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) उप महाप्रबंधक, आईईपीएफ प्राधिकरण – सदस्य (iii) अवर सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
(3) वैयक्तिक सहायक	01* **(2018)** *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ख'	स्तर-6	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति, जिसके नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**<u>प्रोन्नति-</u>** स्तर-4 में 10 वर्षों की नियमित सेवा वाले आशुलिपिक **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब तक कि उसके द्वारा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **<u>प्रतिनियुक्ति/आमेलन-</u>** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधिकारी (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) जिन्होंने छह वर्ष की नियमित सेवा के साथ स्तर-6 में पदधारण किया हो और अंग्रेजी में कौशल मापदंड अर्थात् 100 शब्द प्रति मिनट का श्रुतलेख और कंप्यूटर पर 50 मिनट का प्रतिलेखन रखता हो।

12	13
विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति- (i) महाप्रबंधक, आईईपीएफ प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) उप महाप्रबंधक, आईईपीएफ प्राधिकरण – सदस्य (iii) अवर सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
(4) आशुलिपिक	**2* (2018)** *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ग'	स्तर-4	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन	**<u>प्रतिनियुक्ति/आमेलन-</u>** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारी - (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हों; या (ii) जिन्होंने स्तर 2 में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो;

			और 80 शब्द प्रति मिनट श्रुतलेखन (अंग्रेजी) और कंप्यूटर पर 40 मिनट का प्रतिलेखन कौशल परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

12	13
चयन समिति - (i) महाप्रबंधक, आईईपीएफ प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) उप महाप्रबंधक, आईईपीएफ प्राधिकरण – सदस्य (iii) अवर सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
(5) ज्येष्ठ सचिवालय सहायक (एसएसए)	01* **(2018)** *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ग'	स्तर-4	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति, जिसके नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**<u>प्रोन्नति-</u>** स्तर-2 में आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले अवर श्रेणी लिपिक - **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरा कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **<u>प्रतिनियुक्ति-</u>** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत ऐसे पदधारी (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हों; या (ii) जिन्होंने स्तर 2 के पद में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो;

12	13
विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति (i) महाप्रबंधक, आईईपीएफ प्राधिकरण - अध्यक्ष (ii) उप महाप्रबंधक, आईईपीएफ प्राधिकरण – सदस्य (iii) अवर सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं होता

IndiaCode

1	2	3	4	5	6	7
(6) कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए)	***1 (2018)** *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह 'ग'	स्तर-2	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति/आमेलन	**<u>प्रतिनियुक्ति/आमेलन-</u>** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के ऐसे पदधारी - (i) जो सदृश पद धारण किये हों; या (ii) जिन्होंने स्तर-1 के पद में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।

12		13
चयन समिति		लागू नहीं होता
(i) महाप्रबंधक, आईईपीएफ प्राधिकरण	- अध्यक्ष	
(ii) उप महाप्रबंधक, आईईपीएफ प्राधिकरण	– सदस्य	
(iii) अवर सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय	- सदस्य	

[फा. सं. 05/05/2014-आईईपीएफ]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi , the 21st August, 2018

G.S.R. 793(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 125 and section 469 of the Companies Act 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of Deputy General Manager, Private Secretary, Personal Assistant, Stenographer, Senior Secretariat Assistant (SSA) and Junior Secretariat Assistant (JSA) Recruitment Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) "Investor Education and Protection Fund Authority" means authority as constituted under section 125 of the Act;

(2) The words and expressions used herein but not defined in these rules, and defined in the Act shall have the meanings as assigned to them in the Act.

3. Application. - These rules shall apply to the posts specify in column- I of the Schedule annexed to these rules.

4. Number of posts, classification and level in the pay matrix. - The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

5. Method of recruitment, eligibility etc. - The method of recruitment, eligibility and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

6. Procedure for appointment on deputation. - The following procedure shall be followed for making appointment on deputation to posts wherever prescribed in the Schedule:

(1) The Investor Education and Protection Fund Authority shall invite applications for the posts of the Deputy General Manager, Private Secretary, Personal Assistant, Stenographer, Senior Secretariat Assistant (SSA) and Junior Secretariat Assistant (JSA).

(2) The selection committee for evaluating the applications received under sub- rule (1) shall be constituted as per column 12 of the schedule.

7. Period of deputation. – (1) The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall be three years from the date of beginning of the deputation for the posts below level 11 in the pay Matrix of Rs. 67700-208700. The period of deputation may be extended as per extant instruction of the Department of Personnel & Training issued in this regard.

(2) The applicant for deputation should not have attained the age of fifty six years on the last date of receipt of applications. The instructions issued by Department of Personnel and Training shall be applicable to officers and staff serving on deputation basis to the Investor Education and Protection Fund Authority.

8. Conditions of service. - The conditions of service relating to pay, allowances and leaves shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are applicable to the officers and employees of the corresponding Level in the pay Matrix of the Central Government at that point of time.

9. Accommodation. – The officers and employees shall have the option of claiming House Rent Allowance in accordance with the rate prescribed by the Central Government as applicable to officers and employees of the corresponding scales of pay of the Central Government:

Provided that they shall not be eligible for House Rent Allowance in case they are declared eligible for general pool residential accommodation and occupy such a Government accommodation allotted to them.

10. Disciplinary Proceedings.- The modalities of disciplinary proceedings against the officers and employees shall be notified by the Chief Executive Officer of the Investor Education and Protection Fund Authority as per rules and regulations applicable to officers and employees of the corresponding Level in the pay Matrix of the Central Government.

11. Disqualification. - No person-

(a) who has entered or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

12. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE-I

[see Rules 3, 5, 6, 7, 8, 9]

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Pay Level and the pay Matrix**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age limit for direct recruits**	**Educational and other qualifications required for direct recruits**
1	2	3	4	5	6	7
(1) Deputy General Manager	**01* (2018)** *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level-11.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of posts to be filled by various methods**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, the grade from which promotion or deputation or absorption is to be made**
8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Deputation	**Deputation :** Officers of the Central and State Government; (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) a post in Level-10 with five years regular service. **Desirable :** Having knowledge of Companies Act and experience in administrative/ Establishment matters

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment**
12	13
Selection Committee: 1. CEO, IEPF Authority —Chairman 2. General Manager, IEPF Authority —Member 3. Director/ Deputy Secretary, MCA —member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
(2) Private Secretary	**01* (2018)** *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level-8	Non-selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11
Not applicable.	Not applicable.	Promotion filling which by deputation.	**Promotion:-** Personal Assistant with six years regular service in Level-6. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:-** Officials working in Central or State Governments holding:- (i) analogous post on regular basis; or (ii) a post in Level-7 with two years regular service; or (iii) a post in Level-6 with six years regular service and pass skill Test i.e. dictation@110w.p.m (English).Transcription on computer 55 minutes.

12	13
Departmental Promotion Committee/ Selection Committee: 1. General Manager, IEPF Authority —Chairman 2. Deputy General Manager, IEPF Authority —Member 3. Under Secretary, MCA —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
(3) Personal Assistant	***01 (2018)** *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level-6	Non selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11
Not applicable.	Not applicable.	Promotion filling which by deputation.	**Promotion:** Stenographers with ten years regular service in Level-4.

			Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation/Absorption :** Officers of the Central Government or State Governments holding:- (i) analogous post on regular basis, or (ii) a post in Level -4 with ten years regular service ; and possessing skill norms i.e. dictation @100w.p.m (English) & transcription 50 minutes on computer.

12	13
Departmental Promotion Committee/ Selection Committee: (1) General Manager, IEPF Authority —Chairman (2) Deputy General Manager, IEPF Authority —Member (3) Under Secretary, MCA —Member	Not applicable

IndiaCode

1	2	3	4	5	6	7
(4) **Stenographer**	**02* (2018)** ***Subject to variation dependent on workload.**	Group 'C'	Level-4	Not applicable	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11
Not applicable.	Two years	Deputation/ absorption.	Deputation/Absorptions : Officers working under Central Government or State Governments holding:- (i) analogous post on regular basis or (ii) Lower Division Clerk with eight years regular service in Level-2 and pass skill Test i.e. dictation @ 80w.p.m (English) & transcription 40 minutes on computer.

12	13
Selection Committee: (1) General Manager, IEPF Authority —Chairman (2) Deputy General Manager, IEPF Authority —Member (3) Under Secretary, MCA —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
(5) **Senior Secretariat Assistant (SSA)**	**01* (2018)** *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'	Level-4	Non selection.	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11
Not applicable.	Not applicable.	Promotion filling which by deputation.	**Promotion:** Lower Division Clerk with eight years regular service and in Level-2. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officials working under Central or State Governments holding: (i) analogous post on regular basis; or (ii) a post in Level-2 with eight year regular service.

12	13
Departmental Promotion Committee/ Selection Committee: (1) General Manager, IEPF Authority —Chairman (2) Deputy General Manager, IEPF Authority —Member (3) Under Secretary, MCA —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
(6) **Junior Secretariat Assistant (JSA)**	**01* (2018)** *Subject to variation dependent on workload.	Group 'C'	Level-2	Not applicable	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11
Not applicable.	Not applicable.	Deputation/ absorption.	**Deputation/absorptions:** Officials of the Central or State Governments holding: (i) analogues post; or (ii) a post in Level-1 with three year regular service.

12	13
Selection Committee: (1) General Manager, IEPF Authority —Chairman (2) Deputy General Manager, IEPF Authority —Member (3) Under Secretary, MCA —Member	Not applicable.

[F. No. 05/05/2014-IEPF]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.08.27 18:57:35 +05'30'